पश्चिम रेल्वे WESTERN RAILWAY

उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक का कार्यालय Dy.Chief Material Manager's office

फ्रीलैंडगंज - दाहोद 389160 Freelangunj-Dahod 389160

रेलवे (092) 47666

P&T,FAX (02673) 241295

कसे सं : ई/789/पुनः नियुक्ति दिनाक : 02.05.2018

अधिसूचना

विषय : भंडार विभाग दाहोद जिला की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मासिक पारिश्रमिक आधार पर रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन बाबत ।

संदर्भ : (1) रेल्वे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 Dtd. 16.10.17 (आरबीई सं-150/2017) (पीएस सं. 174/2017)

(2) रेल्वे बोर्ड का पत्र सं. E(NG)-II/2007/RC-4/CORE/1 Dtd. 12.12.17 (आरबीई सं-93/2017)

***

दाहोद भंडार में उपरोक्त संदर्भित पत्रों एवं अधिसूचना में दी गयी शर्तों के तहत दाहोद भंडार जिला से सेवानिवृत्त (Retired) इच्छुक कर्मचारियों से दाहोद भंडार जिला की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संलग्न प्रारूप में दाहोद भंडार जिला के अधीन सभी डिपो से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

निम्न लिखित कोटियों (Categories/Posts) के लिए आवेदन किए जाते हैं ।

कोटि सं. Category No.	कोटि (Categories/Posts	रिक्तियां (Vacancies)
01	मिनिस्टेरियल स्टॉफ (लिपिक वर्ग)	21
02	स्टेनो/ Steno (Hindi/English)	01
03	खलासी	59
	कुल योग	81

..2..

अस्थायी पुनः नियुक्ति की शर्ते / निर्देश निम्नानुसार है ।

1) यह पुनः नियुक्ति पूर्णत अस्थायी है । यह योजना दिनांक 01.12.2019 तक प्रभावी है किन्तु सीधी भर्ती से ऊमीद्वार उपलब्ध होने पर या रेल्वे को आवश्यकता नहीं होने पर पुनः नियुक्त रेल कर्मचारी की सेवा दिनांक 01.12.2019 के पूर्व समाप्त की जा सकती है ।
2) Liberalised Active Retirement Scheme For Guaranteed Employment for safety Staff (Largess) के तहत सेवा निवृत कर्मचारी पात्र नहीं है ।
3) इस योजना के लिए सेवा से पृथक (Removed) / सेवा से बर्खास्त (Dismissed) / अनिवार्य सेवानिवृत (Compulsory Retired) एवं 30-55 के तहत समयावधि पूर्व सेवानिवृत (Premature Retirement) कर्मचारी पात्र नहीं है ।
4) कर्मचारी जिस डिपो / कोटि से सेवानिवृत हुवे है उसी डिपो / कोटि के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है अन्य किसी डिपो / कोटि के लिए नहीं ।
5) अधिसूचना जारी होने की दिनांक को कर्मचारी की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
6) दाहोद भंडार यूनिट द्वारा विभिन्न पदों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया (सर्विस रिकॉर्ड / गोपनीय रिकॉर्ड / साक्षात्कार /चिकित्सा परीक्षण आदि) मे योग्य पाये जाने, रिक्तियाँ उपलब्ध होने एवं तात्कालिक आवश्यकता होने पर पुनः नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जायेगे ।
7) पुनः नियुक्त कर्मचारी को सेवानिवृति के समय देय अंतिम वेतन (Pay + DA) मे से मूल पेंशन राशि (Pay + Dearness relief) घटाने पश्चात शेष राशि पारिश्रमिक रूप मे देय होगी ।
8) पुनः नियुक्त कर्मचारी को क्र.सं. - 7 मे दर्शाये गए अनुसार मासिक पारिश्रमिक के अलावा ऐसे किसी भी प्रकार की सुविधा देय नहीं होगी जो कि एक सेवारत नियमित रेलवे कर्मचारी को देय है ।
9) पुनः नियुक्त कर्मचारी किसी भी प्रकार की छुट्टी (CL, LAP,Sick Leave etc.) के पात्र नहीं होगे । यदि वे अनुपस्थित रहेते है तो उनको देय पारिश्रमिक मे से नियमानुसार उचित कटोती की जायेगी ।
10) रेलवे प्रशासन अपनी आवश्यकतानुसार पुनः नियुक्त कर्मचारी को आवेदन पद के अनुरूप कार्य के लिए दाहोद भंडार यूनिट के किसी भी अनुभाग मे पदांकित कर सकता है । अर्थात रेलवे प्रसासन अपनी दैनिक अवयशकता अनुसार कार्य पर लगा सकता है ।
11) पुनः नियुक्त कर्मचारी की जिस स्थान पर कार्य पर लगाया जाएगा उसके कार्य का कार्यालयीन समय भी (Duty Roster) उसी के अनुरूप रहेगा । आपको रेलवे नियमो एवं कार्यालयीन अनुशासन की अनुपलना करनी होगी ।
12) रेलवे प्रशासन पुनः नियुक्त रेल कर्मचारी की पुनः नियुक्ति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के समाप्त कर सकता है । अस्थायी पुनः नियुक्त कर्मचारी यदि रेल सेवा से त्याग - पत्र देना चाहे तो उसे रेल प्रशासन को 07 दिन का नोटिस देना आवयशक होगा ।
13) अस्थायी पुनः नियुक्त कर्मचारी को इस अस्थायी पुनः नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा
14) कर्मचारी अपना आवेदन **स्थापना अनुभाग दाहोद मे दिनांक 28.05.2018** तक आवयशक रूप से जमा करे । इसके पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगे । डाक आदि मे विलम्ब के लिए रेलवे प्रशासन जवाबदार नहीं होगा ।
15) आवेदन पत्र के साथ स्वयं प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज़ की छायाप्रती आवयशक रूप से संलग्न करे ।
    a) Service Certificate b) Pensioner identity Card c) Pension Payment Order
    d) Saving Bank Account e) PAN Card/Adhaar Card

सर्व संबन्धित कृपया नोट करे एवं तदानुसार कार्यवाही करे ।

(महेश जेठमलानी)
उप मु.सा.प्र./दाहोद

प्रति - महाप्रबंधक (स्था) उप मुख्य कार्मिक अधी (HQ) चर्चगेट
प्रति - मु कारख़ाना प्रबन्धक दाहोद , मु.चि.अ दाहोद
प्रति - उप वि स एवं मुलेअधि(कावभ) /दाहोद, व.स.वि.स (कावभ)प्रतापनगर
प्रति - वसाप्र (इलेशे)-वडोदरा यार्ड, ससाप्र-प्रतापनगर, वसाप्र-(डिजल)रतलाम, मसाप्र (डिवी.)-रतलाम
प्रति - सभी अधिकारिगण दाहोद/(डीजल) रतलाम/प्रतापनगर/(ELS) वडोदरा यार्ड
प्रति - सचिव वेरेएयू/वेरेमसं/अजा-अजजा/ओबीसी संघ दाहोद।
प्रति - रेलवे वेब साइट (WR) जनसम्पर्क अधिकारी - इंदौर समाचार पत्र
प्रतिः समयपाल दाहोद, सूचना पट

..3..

APPLICATION FORM FOR RE-ENGAGEMENT OF RETIRED EMPLOYEES OF DAHOD WORK SHOP ON MONTHLY REMUNERATION BASIS

Category No. कोटि सं.	Category Name कोटि का नाम	Department विभाग

कर्मचारी का नाम : Name of Employees		पी.एफ.संख्या PF. NO.	
पिता का नाम Father's Name		समुदाय - Community	
जन्म दिनांक Date of Birth		नियुक्ति दिनांक Date of Appointment	
सेवा निवृति दिनांक Date of Retirement		ईमेल एड्रैस Email Address	
मोबाइल नं. Mobile No.		वेकल्पिक मोबाइल नं. Alternate Mobile No.	
पैन कार्ड संख्या PAN Card No.		आधार कार्ड सं. Adhaar Card No.	
वर्तमान निवास पता Present Resident Address			
शहर City		पिन कोड़े Pin Code	

सेवानिवृति के समय का विवरण Details at the time of Retirement

सेवानिवृति का प्रकार Type of Retirement		विभाग Department	
पदनाम Designation		स्टेशन/यूनिट Station/unit	
पिपीओ नं. PPO नं.		पारिचय पत्र सं. ID Card Number	
सेवा प्रमाण पत्र संख्या Service Certificate No.		ग्रेड पे Grade Pay	
अंतिम मूल वेतन Last Basic Pay		लेवल Level	
स्वीकृति मूल पैंशन Basic Pension			
संरक्षा / दुर्घटना संबंधी रिकॉर्ड अगर कोई हो तो Safety Accident related history in service if any			
सेवानिवृति पश्चात आपको कभी न्यायिक हिरासत मे लिया गया है ? Have you ever been arrested / prosecuted after retirement?			
संलग्न दस्तावेजो की सूची List enclosed documents			

मैं घोषणा करता हु कि ऊपर दी गयी समस्त जानकारी सही है । मुझे अधिसूचना मे दी गयी समस्त शर्ते स्वीकार है तथा समय समय पर रेलवे द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी करुंगा ।

स्थान Place :-

दिनांक Date :-

कर्मचारी के हस्ताक्षर